

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 103/2019

शुभम हाऊसिंग डवलपमेन्ट फाईनेन्स कम्पनी प्राईवेट लि०
शाखा कार्यालय:- सी-1 प्रथम मंजिल, आनासागर, सर्कुलर रोड, वैशाली नगर,
अजमेर (राज०)-305001 जरिये प्राधिकृत अधिकारीप्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटर
बनाम

- (1). श्री रामलाल पुत्र श्री रतनलाल
पता-62, स्यालो की ढाणी, खोडा,
जिला अजमेर (राज.)-305023
दुसरा पता - ग्राम खोडा, ग्राम पंचायत बूबानी, पंचायत समिति श्रीनगर
जिला अजमेर (राज.)-305001
- (2). श्रीमती सन्तोष देवी
पता -62, स्यालो की ढाणी, खोडा,
जिला अजमेर (राज.)-305023

.....अप्रार्थीगण / ऋणी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्युराईटेशन रिक्सटक्शन
आफ फाईनेन्शियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ
सिक्युरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :-

श्री मनदीप सिंह चौहान

अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक 21.08.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण श्री रामलाल पुत्र श्री रतनलाल व श्रीमती सन्तोष देवी निवासी- 62, स्यालो की ढाणी, खोडा, जिला अजमेर (राज.)-305023 को दिनांक 26.02.2014 को रु 1,40,224/- (अक्षरे एक लाख चालीस हजार दो सौ चौबीस रूपये मात्र) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्रार्थीगण ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर ग्राम खोडा, ग्राम पंचायत बूबानी, पंचायत समिति श्रीनगर, अजमेर स्थित सम्पत्ति, क्षेत्रफल 150 वर्गगज है, जो श्री रामलाल पुत्र श्री रतनलाल के नाम से है, जिसकी चतुर्थ सीमाएं- पूर्व -रामलाल का बाडा, पश्चिम- श्री हीरालाल की सम्पत्ति, उत्तर -किशन देवी की सम्पत्ति, दक्षिण-श्री आनन्द की सम्पत्ति, को बतौर जमानत प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी बैंक को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 31.01.2016 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 04.02.2016 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रूपये-2,38,404/- (अक्षरे दो लाख अडतीस हजार चार सौ चार रूपये मात्र) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं सम्भलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities



A. K. Sharma
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी बैंक को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अर्न्तगत प्रार्थी बैंक के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है।

अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक, ग्राम खोडा, ग्राम पंचायत बूबानी, पंचायत समिति श्रीनगर, अजमेर स्थित सम्पति, क्षेत्रफल 150 वर्गगज है, जो श्री रामलाल पुत्र श्री रतनलाल के नाम से है, जिसकी चतुर्थ सीमाएं- पूर्व -रामलाल का बाडा, पश्चिम- श्री हीरालाल की सम्पत्ति, उत्तर -किशन देवी की सम्पत्ति, दक्षिण-श्री आनन्द की सम्पत्ति,, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्ब कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 21.08.2019 को सुनाया गया।



V. Sharma
(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर